मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक बी-25-26/97/पी.डब्ल्यू.सी/चार, भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 97

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय कमिश्नर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय :- सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में न मांग प्रमाण-पत्र तथा न जांच प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में.

संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक बी.25/20/94/पी. डब्ल्यू.सी./चार, दिनांक 30-5-97.

विषयान्तर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें.

2. राज्य शासन द्वारा उपरोक्त विषय में समय-समय पर कई निर्देश प्रसारित किये गये हैं, जिनका उद्देश्य यह था कि, इन निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कर सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों को शीघ्रता से न मांग एवं न जांच प्रमाण-पत्र प्राप्त हो सके और उसे कोषालयों से पेंशन परिलाभों के भुगतान में विलम्ब न हो. परन्तु यह देखने में आया हे कि शासन द्वारा जारी विस्तृत एवं सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद अनेक प्रकरणों में न मांग न जांच प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने में पेंशन भोगी को काफी कठिनाईया का सामना करना पड़ता है. प्राय: यह देखा गया है कि कार्यालय प्रमुख द्वारा इन प्रमाण-पत्रों के संबंध में समय पर कार्यवाही नहीं की जाती और उदासीनतापूर्वक पेंशन संबंधी अभिलेख अंतिम निराकरण के लिये भेज दिये जाते हैं. इसी वजह से संचालक, संयुक्त संचालकों, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरणों, जिनके विरुद्ध न तो न्यायिक और न ही विभागीय कार्यवाही शेष है, के पेंशन प्राधिकार पत्रों पर न मांग प्रमाण-पत्र एवं न जांच प्रमाण-पत्र कोषालय में प्रस्तुत करने पर भुगतान की शर्त अंकित की जाती है.

3. अत: इस संबंध में कार्यालय प्रमुख के स्तर पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध मांग तथा न जांच प्रमाण-पत्र के संबंध में इस प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे कि पेंशन प्रकरण के साथ ही न मांग एवं न जांच प्रमाण-पत्र संलग्न कर पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिये प्रकरण संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन को भेजा जाय.

4. जिन कर्मचारियों ने सेवा संवर्ग का नियंत्रण विभागाध्यक्ष अथवा प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाता है, उनके मामले में समय पर न मांग प्रमाण-पत्र एवं न जांच प्रमाण-पत्र जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा प्रशासकीय विभाग की होगी. प्रशासकीय विभाग/ विभागाध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की प्रक्रिया सुनुश्चित की जावे कि सेवानिवृत्ति की तिथि की न मांग अथवा न जांच प्रमाण-पत्र संबंधित कर्मचारी को मिल जायेगा.

5. राज्य शासन चाहता है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे.

हस्ता/-

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ. क्र./बी-25-26/97/पी.डब्ल्यू.सी/चार, भोपाल, दिनांक 12-12-1997

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव भोपाल.
2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
3. सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल.
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर

5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (स्थापना शाखा) भोपाल.
7. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा), भोपाल.
8. मुख्य लेखाधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल.
9. प्रातांध्यक्ष, म. प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, 89/61, तुलसी नगर, भोपाल
10. प्रातांध्यक्ष, म. प्र. राजपत्रित अधिकारी संघ, 110/10, शिवाजी नगर, भोपाल.
11. प्रातांध्यक्ष, म. प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ, 12/5, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल.
12. प्रातांध्यक्ष, म. प्र. शिक्षक संघ, कार्यालय, 69/1, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल.
13. प्रांतीय, प्रमुख महामंत्री, म. प्र. शिक्षक कांग्रेस ई-6/45 बंगले, नार्थ टी. टी. नगर, भोपाल.
14. महामंत्री, म. प्र. राज्य कर्मचारी संघ, 48/26, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल.
15. प्रातांध्यक्ष, म. प्र. कर्मचारी कांग्रेस, 98/48 तुलसी नगर, भोपाल.
16. प्रांताध्यक्ष, म. प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति, अधिकारी/कर्मचारी संघ, 83/85 तुलसी नगर, भोपाल.
17. अध्यक्ष, म. प्र. मंत्रालयीन कर्मचारी संघ, वल्लभ भवन, भोपाल.
18. पेंशनर कल्याण मंडल के सभी सदस्य.
19. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.
20. सभी संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश.
22. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश.
23. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश.

हस्ता/-
(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.